राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 951/2014/उदयपुर.

मैसर्स शिवम् फार्माकेम, प्रथम तल, 5सी, मधुबन, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर.
2. सहा. वाणि. कर अधि., वार्ड–V, वृत–सी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 115/वैट/13–14/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 21.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.02.2013 को पारित किया गया था जो एकपक्षीय आदेश होने से अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित हो गई थी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि व्यवसायी को सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2012 के लिये ईमेल के जरिये दिनांक 10.12.2012 को नोटिस भिजवाया गया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी के एक पक्षीय आदेश का यथावत रखा गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि कर निर्धारण आदेश में यह किसी भी स्थान पर अंकित नहीं है कि इनके द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी का कर निर्धारण बिना सुनवाई एकपक्षीय किया गया एवं देय कर रूपये 1,40,000/– निर्धारित कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

लगातार.....2

यह भी तर्क दिया कि ईमेल के जरिये जो नोटिस दिया जाना बताया गया है वह भी इस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त नोटिस अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि की मेल आई.डी. पर भिजवाया गया था। अतः अपीलार्थी इससे अनभिज्ञ रहा है।

5. अपीलार्थी के कथन पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि केवल एक नोटिस दिनांक 10.12.2012 को दिनांक 20.12.2012 के लिये ई–मेल से जाना बताया गया है परन्तु उसकी सूचना व्यवसायी को होना संदेहप्रद है क्योंकि वह ईमेल उनके अधिकृत प्रतिनिधि की आई.डी. पर किया गया था। न्यायहित में व्यवसायी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु भौतिक रूप से भी नोटिस दिया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में अपीलार्थी व्यवहारी के विवरण–प्रपत्र भी उपलब्ध हैं, जो कि कर निर्धारण से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिये गये थे, परन्तु एक पक्षीय आदेश में उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है।

6. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 17.07.2017 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. निर्णय सुनाया गया।

18/7/17

(के. एल. जैन)
सदस्य